"गुणात्मक" सुधार के नाम पर अब माध्यमिक विद्यालयों में भी पढ़ने के अवसर सीमित

शिक्षा को बिकाऊ माल मत बनाओ !

माध्यमिक विद्यालयों में दो वर्ष पूर्व हुई भारी शुल्क वृद्धि के बाद, अब सीटों में कटौती कर प्रदेश सरकार ने आम छात्रों को पढ़ने से रोकने के लिए एक और अवरोध खड़ा कर दिया है।

अभी पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक शासनादेश के अनुसार 6वीं; 9वीं; 10वीं; 11वीं; और 12वीं कक्षा तक की सीटों को सीमित कर दिया गया है। यह उसी नयी शिक्षा नीति की देन है जिसके तहत इसके पूर्व मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में भारी शुल्क वृद्धि की गयी थी और उन्हें कैपिटेशन व डोनेशन फीस लेने की खुली छूट दे दी गयी। इस तरह से आम गरीब छात्रों के पढ़ने के रास्ते में तरह-तरह से अवरोध खड़े कर दिये गये हैं। अभी भी जारी हो रहे नित नये शासनादेश संविधान में वर्णित "शिक्षा के मौलिक अधिकार" की ही धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

शिक्षा के निजीकरण की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी पिछले दिनों निजी इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेजों को खोलने की अनुमति देने के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत भी दे दी गयी है।

इसी क्रम में, प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी एक शासनादेश के अनुसार, अब माध्यमिक विद्यालयों में सीमित संख्या में ही छात्र-छात्राएं पढ़ सकेंगे और यह सब कुछ प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में "गुणात्मक" सुधार के नाम पर किया जा रहा है। यही नहीं, शासनादेश में यह भी कहा गया है कि उ०प्र० शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने के लिए प्रबंधकों को जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए प्रबंध समिति को आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधन अपने निजी स्रोतों से उपलब्ध कराना होगा।

जाहिर है, कि प्रबंधकों का "निजी स्रोत" आम छात्र ही होगा। इस प्रकार आम छात्रों के दोहन का एक और हथियार विद्यालयों को मुहैय्या करा दिया गया है।

इतना ही नहीं, एक अन्य शासनादेश का सख्ती से पालन करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक केन्द्र से हाईस्कूल के लिए 250 और इण्टरमीडिएट के लिए 150 से अधिक व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जायें। इस निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित करने वाले प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

धड़ाधड़ जारी होने वाले इन शासनादेशों के जरिये भूमण्डलीकरण के दौर की शिक्षा नीति को तेजी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमारे शासक हमारे खिलाफ फैसले ले रहे हैं और बेहिचक लागू कर रहे हैं। अब मेहनतकशों के नौजवानों की बारी है कि वे भी फैसलें लें, एकजुट हों। इसमें जितनी देर होगी हालात उतने ही बदतर होते जायेंगे।

• चारुचन्द्र

पेरू के क्रान्तिकारी नेता कामरेड फेलिसियानो पर सैनिक "मुकदमा" चलाने और यातनाएं देने के विरोध में आवाज उठाओ !

लगभग सात वर्ष पूर्व पेरू के संघर्षरत मेहनतकश अवाम के नेता गोंजालो (अबिमेल गुजमान) को सभी नियमों को धता बताकर और मानवाधिकारों को ताक पर रखकर गिरफ्तार करने व जीवन की बुनियादी शर्तों से महरूम कर एक भूमिगत काल कोठरी में डाल देने वाली तानाशाह अल्बर्टो फूजीमोरी की सरकार ने आस्कर रेमिरेज डूरण्ड (कॉ० फेलिसियानो) को भी विगत जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया है। फूजीमोरी ने अपनी सफलता से उत्साहित होकर एक बार फिर यह घोषणा की है कि पेरू में लोकयुद्ध का अब खात्मा कर दिया जायेगा। गोंजालो को कैद में डालने के बाद, उस समय भी, फूजीमोरी ने यही शेखी बघारी थी। लेकिन दमन के थेपेड़ो से मार्ग में अचानक बाधा आ जाने और कुछ समय तक लड़खड़ाने के बावजूद यह संघर्ष जनता से पुनः शक्ति अर्जित कर उभार पर आ चुका था। का० फेलिसियानो ने लोकयुद्ध के इस नये उभार की बागडोर सम्भाल ली थी। वे सफलता पूर्वक इसका नेतृत्व एवं संचालन कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेरू में दमन चक्र के एक नये दौर की शुरुआत हो चुकी है। हजारों कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया है, तरह-तरह कीअमानुषिक यातनाए दी जा रही हैं और "आतंकवादियों" को कुचलने के नाम पर गांवों और कस्बों में सरकारी अर्द्धसैनिक 'आत्म रक्षा समितियों' द्वारा सैकड़ों क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं एवं हमदर्दों की हत्याएं की जा रही हैं।

प्रतिक्रियावादी दमन-चक्र की काली आंधी में भी बुझ नहीं सकती लोकयुद्ध की मशाल

गोंजालों को गिरफ्तार करने के बाद अमानुषिक यातनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है। फौजी अदालत में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का जो नाटक हुआ था उससे पूरी दुनिया परिचित है उनकी पैरवी करने वाले वकीलों को भी 'तोड़-फोड़ की करवाई' का आरोप लगाकर अजीवन कारावास में डाल दिया गया था। वे आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर सशस्त्र पहरे के भीतर कैद-ए-तन्हाई में जी रहे हैं। फूजीमोरी की इन समस्त कार्रवाइयों को अमेरिकी शासन का लगातार समर्थन मिल रहा है। और फूजीमोरी ने अब फेलिसियानो के साथ यही सुलूक करने की खुली घोषणा की है।

परन्तु शेखीबाज तानाशाह का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस बर्बर दमन चक्र की आंधी भी लोकयुद्ध की मशाल को बुझा नहीं पायी है। पेरू का क्रान्तिकारी जनसमुदाय उसकी सुरक्षा दीवार बन कर खड़ा है।

पेरू के जनसंघर्ष की इस कठिन घड़ी में हमारा भी यह अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि पेरू में चल रहे इस बर्बर-दमन और 'गढ़े गये मुकदमे' का पुरजोर और हर सम्भव विरोध करें।